

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2014/वैशाख 19, 1936

No. 114]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2014/VAISAKHA 19, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2014

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन.गण. के मूल की या वहां से निर्यातित 40 टन से अनधिक क्लैपिंग बल रखने वाली और 1000 टन से अनधिक की सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों, जिन्हें इंजेक्शन प्रेसों के नाम से भी जाना जाता है, के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

सं. 15/2/14-डीजीएडी.—1. वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है), ने चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की या वहां से निर्यातित प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग अथवा मोल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली 40 टन से अनधिक क्लैपिंग बल रखने वाली सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों, जिन्हें इंजेक्शन प्रेसों के नाम से भी जाना जाता है, (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी ।

2. यतः प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. 14/12/2008-डीजीएडी के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में मूल जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा 10 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं. 14/12/2008-डीजीएडी के तहत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा 12 मई, 2009 की अधिसूचना सं. 47/2009-सी.शु. के तहत अनंतिम

पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा 31 दिसंबर, 2009 की अधिसूचना सं. 14/12/2008-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 23 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. 39/2010-सी.शु. के तहत संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था।

3. यतः मै. प्लास्टिक्स मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने अपने सदस्यों अर्थात् (क) तोशीबा मशीन (चेन्नै) प्रा.लि. (ख) फैरोमेटिक मिलाक्रान इंडिया प्रा.लि. (ग) विंडसर मशीन्स लि. और (घ) इलैक्ट्रॉनिक प्लास्टिक मशीन्स लि. ने संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत पुष्टीकृत आवेदन दायर किया है और संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

घरेलू उद्योग और उसका आधार

4. निर्णायक समीक्षा हेतु आवेदन मै. प्लास्टिक्स मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है और लागत एवं क्षति संबंधी सूचना (क) तोशीबा मशीन (चेन्नै) प्रा.लि. (ख) फैरोमेटिक मिलाक्रान इंडिया प्रा.लि. (ग) विंडसर मशीन्स लि. और (घ) इलैक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लि. द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार किसी भी याचिकाकर्ता कंपनी विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वह आरोपित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक अथवा आयातक संबंधित नहीं है, सिवाय इस बात के कि कुछ याचिकाकर्ता कंपनियों की चीन में सहायक कंपनियां हैं जो चीन में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों का उत्पादन कर रही हैं। यह दावा किया गया है कि इन संबद्ध कंपनियों ने विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया है।
5. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं अर्थात् (क) तोशीबा मशीन (चेन्नै) प्रा.लि. (ख) फैरोमेटिक मिलाक्रान इंडिया प्रा.लि. (ग) विंडसर मशीन्स लि. और (घ) इलैक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लि. का कुल उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से काफी अधिक बनता है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के पास वर्तमान याचिका दायर करने का आधार है और याचिकाकर्ता कंपनियां वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल की या वहां से निर्यातित “प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग अथवा मोल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली 40 टन से अनधिक क्लैम्पिंग बल रखने वाली और 1000 टन से अनधिक की सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं, जिन्हें इंजेक्शन प्रेसों के नाम से भी जाना जाता है।” चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, इसलिए इस जांच में वही उत्पाद शामिल है, जो मूल जांचों में शामिल था।
7. विचाराधीन उत्पाद सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 85 के उपशीर्ष सं. 8477.1010 के अंतर्गत आता है। तथापि, सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के क्षेत्र पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

8. यतः दायर किए गए विधिवत पुष्टीकृत आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

शामिल देश

9. इस जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

जांच अवधि

10. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अक्टूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2013 (12 माह) तक की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा जांच अवधि शामिल होंगे।

प्रक्रिया

11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. 14/12/2008-डीजीएडी के तहत प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल हैं।
12. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
कमरा संख्या 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110011

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसका अगोपनीय रूपांतरण अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

समय-सीमा

15. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाए, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्ता सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए।
18. किसी अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतरण और अगोपनीय रूपांतरण प्रत्येक दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
19. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु; सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।
20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय-वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह, ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
22. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकार्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास

उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2014

(Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping duty on imports of all kinds of plastic processing or injection moulding machines, also known as injection presses, having clamping force not less than 40 tonnes and not more than 1000 tonnes originating in or exported from China PR.

No. 15/2/14-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of all kinds of plastic processing or injection moulding machines, also known as injection presses, having clamping force not less than 40 tonnes, used for processing or moulding of plastic materials (hereinafter referred to as the subject goods) from China (hereinafter referred to as the subject country).

2. Whereas the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/12/2008-DGAD dated 8th July, 2008. The Preliminary Finding was issued by the Authority vide Notification No. 14/12/2008-DGAD dated 10th February, 2009 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 47/2009-Customs on 12th May, 2009. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/12/2008-DGAD dated the 31st December, 2009, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, a definitive anti-dumping duty was imposed the Central Government vide Notification No. 39/2010-Customs dated 23rd March, 2010 on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
3. Whereas, M/s. Plastics Machinery Manufacturers Association of India along with its members viz (a) Toshiba Machine (Chennai) Pvt. Ltd., (b) Ferromatik Milacron India Pvt. Ltd, (c) Windsor Machines Limited and (d) Electronica Plastic Machines Ltd., have filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Subject Country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

4. The application for the sunset review has been filed by M/s. Plastics Machinery Manufacturers Association of India and the costing and injury information has been provided by (a) Toshiba Machine (Chennai) Pvt. Ltd., (b) Ferromatik Milacron India Pvt. Ltd, (c) Windsor Machines Limited and (d) Electronica Plastic Machines Ltd . As per the information available, none of the petitioner companies have imported the product under consideration or is related to any exporter or importer of the alleged dumped article except that some of the petitioner companies have affiliates in China who are producing plastic processing machines in China. It has been claimed that there are no exports of the product under consideration by these affiliated companies.
5. The Authority further notes that the total production of the petitioners, viz., (a) Toshiba Machine (Chennai) Pvt. Ltd., (b) Ferromatik Milacron India Pvt. Ltd, (c) Windsor Machines Limited and (d) Electronica Plastic Machines Ltd during the Period of Investigation (POI) is significantly beyond 50% of Indian production. The Authority, therefore, determines that the petitioners have standing to file the present petition and petitioner companies constitute Domestic Industry within the meaning of the Anti-Dumping Rules for the purpose of present investigation.

Product under Consideration and Like Article

6. The product under consideration, in the original investigation, is “all kinds of plastic processing or injection moulding machines, also known as injection presses, having clamping force not less than 40 tonnes and not more than 1000 tonnes, used for processing or moulding of plastic materials”, originating in or exported from China PR. The present investigation being a sunset review, the investigation covers the product as in the original investigations.
7. The product under consideration falls under Chapter 85 of the Customs Tariff Act under subheading No. 8477.1010. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the investigation.

Initiation of Sunset Review of Anti Dumping Duty

8. Whereas in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Subject Country

9. The country involved in this investigation are China PR.

Period of investigation

10. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1st October, 2012 – 30th September, 2013 (12 months). However, injury analysis shall cover the years as 2010-11, 2011-12, 2012-13 and POI.

Procedure

11. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 14/12/2008-DGAD dated the 31st December, 2009.
12. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

13. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce Ministry of Commerce and Industry
Government of India
Room No.240, Udyog Bhavan
New Delhi-110011.

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

15. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this review investigation.

Submission of information on confidential basis

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as non-confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
18. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

23. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority